उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना ।

उद्योग संवर्द्धन नीति –2004 एवं कार्ययोजना की कंडिका 4.2.9. एवं 4.2.20 के उद्धरण निम्नानुसार है :–

4.2.9 '' उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत्–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 2.00 लाख की सीमा तक की जायेगी ।''

4.2.20 '' प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी यथा, स्लॉटर हाउस,एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर) तम्बाखू एवं तम्बाखू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा,परम्परागत् उद्योग इत्यादि । शासन व्दारा ऐसे उद्योगों की सूची का संबंधित नियमों में पृथक से समावेश किया जायेगा । आवश्यक होने पर समय–समय पर यह सूची संशोधित की जायेगी ।

उद्योग संवर्द्धन नीति–2004 एवं कार्य योजना में उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन व्दारा उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेटेंट प्राप्त करने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति योजना निम्नानुसार लागू करने के निर्णय लिये गये है :–

1. पेटेंट कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति योजना में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/प्रक्रियाओं का दिनांक 1/4/2004 के पश्चात् पेटेंट कराने हेतु प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई व्दारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे दी गयी कंडिका 6 एवं 7 को पढ़ते हुए देय होगी ।
2. विकसित किये गये उत्पाद/प्रक्रिया जिसका पेटेंट कराया गया है उसका वाणिज्यिक उत्पादन अथवा पेटेंट कराने वाली इकाई व्दारा उसका उपयोग किया जाना आवश्यक होगा । ऐसी इकाई भारत सरकार के संबंधित विभाग से आशय पत्र/ अनुज्ञा पत्र/आईईएम प्राप्ति के उपरान्त स्थापित होकर वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग से उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त अथवा लघु उद्योग होने पर स्थायी पंजीकृत होना चाहिए।
3. योजना के अन्तर्गन नवीन उद्योगों को प्रदत्त सुविधाएं ऐसे उद्योगों को उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें अपात्र श्रेणी में रखा गया है । अपात्र श्रेणी के उद्योगों की सूची राज्य शासन व्दारा पृथक से प्रसारित की जावेगी । शासन व्दारा आवश्यक होने पर समय– समय पर यह सूची संशोधित की जावेगी ।
4. यह योजना दिनांक 1/04/2004 से आगामी पॉच वर्ष के लिये प्रभावशील होगी ।
5. पेटेंट प्राप्ति के अधिकतम एक वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इस शर्त को शिथिल करते हुए उद्योग आयुक्त अधिकृत होगें ।
6. यह प्रतिपूर्ति, पेटेंट रजिस्ट्रेशन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्ति हेतु किये गये व्यय के वास्तिविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्न व्यय सम्मिलित किये जायेगे :–
    - अ. पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क की राशि।
    - ब. पेटेंट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र साज सज्जा ।
    - स. पेटेंट प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिये भुगतान किये गये शुल्क।

द. प्री– आपरेटिव व्यय में उपरोक्त बिन्दु–2 अ,ब,स की कुल राशि के 10 प्रतिशत की राशि ही मान्य होगी।

इ. इस कार्य पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के आधार पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा प्रतिपूर्ति की राशि स्वीकृत की जावेगी ।

7. इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन पत्र पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को निम्न दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा :–

अ. पेटेंट पंजीयन प्रमाण पत्र ।

ब. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा जारी स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र या भारत सरकार व्दारा जारी आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/आईईएम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र ।

स. उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जो पेटेंट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये किये गये व्यय को प्रमाणित करते हो ।

द. चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र ।

8. यह प्रतिपूर्ति औद्योगिक इकाई में शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों एवं प्रक्रिया का पेटेंट कराने हेतु किये गये व्यय पर अधिकतम रूपये दो लाख की सीमा के अन्तर्गत ही की जावेगी। इस सीमा के अन्तर्गत इकाई एक से अधिक पेटेंट हेतु भी प्रतिपूर्ति आवेदन कर सकेगी, परन्तु प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपये दो लाख तक ही होगी।

9. यह प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश में स्थापित लघु वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये होगी । आवेदन एवं प्रतिपूर्ति के समय पेटेंट का प्रतिपूर्ति प्राप्त करता इकाई व्दारा उपयोग किया जाना आवश्यक होगा ।

10. इस योजना का क्रियान्वयन एवं योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति के स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उनकी अधिकारिता क्षेत्र में होंगे ।

11. इस योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति की राशि के पूर्व महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा संबंधित विषय के विशेषज्ञों अथवा मेपकॉस्ट (मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद) अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श ले सकेगा ।

12. योजना के क्रियान्वयन में व्याख्या की अस्पष्टता अथवा विवाद होने की दशा में मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग व्दारा निर्णय लिया जावेगा, व अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

13. योजना हेतु इकाईयों के लिये आवेदन का प्रारूप परिशिष्ठ अनुसार होगा । इस प्रयोजन के लिये मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग व्दारा उनके यूओ क्रं. 74/आर–137/ब–2 दिनांक 04/02/2005 से सहमति दी गई है ।